

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 21/19

तारीख

01. मांगीलाल पिता कजोड जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी फतहपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. ऊकार पिता भैरु जाति धाकड वयस्क पेशा काश्त निवासी फतहपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. नरेश पिता ऊकार जाति धाकड वयस्क पेशा काश्त निवासी फतहपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

03. कैली पत्नि सीताराम जाति धाकड वयस्क पेशा काश्त निवासी फतहपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक 16-4-19

प्रार्थना पत्र मांगीलाल पिता कजोड जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी फतहपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा फतहपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 80 पर अंकित आराजी संख्या 101/1, 102/1, 171/1, 172/1, 173, 177/2, 185/2, 186/2, 187/2, 192/2 कुल किता 10 रकबा 4-13 बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेडा को पत्थरगढ़ी बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा फतहपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 80 पर अंकित आराजी संख्या 101/1, 102/1, 171/1, 172/1, 173, 177/2, 185/2, 186/2, 187/2, 192/2 कुल किता 10 रकबा 4-13 बीघा भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।
आदेश सुनाया गया




उप खण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा)
बिजौलियाँ